<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03 / 2021 **दायर दिनांकः 19 / 07 / 2021**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।
2. सर्किल कानूगो भू.अ.नि.वृत खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अपीलान्टस्

बनाम

1. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत खुरी पंचायत समिति अटरू जिला बारां राज0।
2. देवकी बाई आयु 60 वर्ष पत्नि कैलाशचन्द जाति धाकड निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ।

रेस्पोडेन्टस्

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1202</u>
<u>दिनांक 28.04.2021 ग्राम पंचायत खुरी</u>

उपस्थिति :—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री अमर सिंह कुशवाह।

आदेश

दिनाकः 18 / 08 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्टस् ने यह अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1202 दिनांक 28.04.2021 ग्राम पंचायत खुरी का इस आशय का पेश किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने रजिस्टर्ड पत्र के विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल मुकाम मोठपुर तहसील अटरू जिला बारा द्वारा रजिस्टर्ड क्रेता रेस्पोडेन्ट क्रम 2 देवकी बाई के प[illegible] दिनांक 28.04.2021 को नामान्तकरण संख्या 1202 कोरोना प्रभाव होने के कारण अपूर्ण कोरम [illegible] उपस्थिति में तस्दीक कर दिया था। जो खारिज फरमाने योग्य है। नामान्तकरण की प्रति एवं जमाबन्दी साथ में संलग्न है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने कोरोना काल होने के दौरान सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की कोरम को नही बुलाया और कुछ पंचो को बुलाकर ही उक्त नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 28.04.2021 को तस्दीक कर दिया। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:01 IST
Reason: SelfAttested

आशय की जानकारी सर्किल कानूगो की जानकारी में आने पर यह अपील पेश की गई है। उक्त नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 28.04.2021 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने गलत तस्दीक कर दिया जिसे न्याय हित में खारिज फरमाया जाकर पुनः नया नामान्तकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक है। नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 28.04.2021 को खारिज फरमाया जाकर पुनः विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तकरण खोलने के आदेश दिये जावे। अपील सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 28.04.2021 ग्राम पंचायत खुरी निरस्त फरमाया जाकर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि अपील की मद नं. 1 में ग्राम खुरी की खाता संख्या 168 ख.नं. 241 का रकबा 3.41 है0 आराजी खातेदार प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल मुकाम मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां से रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा क्रय की है। शेष विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अपील की मद नं. 2 का विवरण अस्वीकार है तथा कथन है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने कोरोना काल में किस प्रकार नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 28.04. 2021 को दस्दीक किया है क्योंकि नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही पटवार हल्का करता है तथा दस्दीक ग्राम पंचायत द्वारा किस प्रकार की जाती है इसकी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को कोई जानकारी नही है। अपील की मद नं. 3 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा कथन है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के पक्ष मे यदि नामान्तकरण संख्या 1202 गलत तस्दीक किया है तो उसकी जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व पटवार हल्का की है। अपील की मद नं. 4 स्वीकार है। अपील की मद नं. 5 कानूनी है। अपील की मद नं. 6 कानूनी है। अनुतोष अपीलाण्ट स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की बाई की ओर से जवाब अपील पेश कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाने में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को कोई आपत्ति नही है।

अभिभाषक अपीलान्टस् एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 की बहस सुनी अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और कथन किया कि ग्राम

पंचायत खुरी द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 28.04.2021 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने गलत तस्दीक कर दिया जिसे न्याय हित में खारिज फरमाया जाकर पुनः नया नामान्तकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074–2077 एवं नामान्तकरण प्रपत्र (प.–21) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा ग्राम खुरी स्थित ख0नं0 241 रकबा 3.41 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण से क्रय की थी और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 1202 दिनांक 23.04.2021 द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा कथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 2 एक अशिक्षित किसान है, जिसे नामान्तरण तस्दीक करने की निर्धारित प्रक्रिया की कोई जानकारी नही है। नामान्तरण खोलने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग व ग्राम पंचायत की थी। पटवारी द्वारा दूसरे पटवार मण्डल का नामान्तरण भरा गया, जिसे प्रतिवादी क्रम 1 (ग्राम पंचायत) द्वारा बिना पूर्ण कोरम के दस्दीक किया। नामान्तकरण दूसरे पटवारी द्वारा भरे जाने एवं अपूर्ण कोरम की उपस्थिति में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ग्राम पंचायत खुरी अपूर्ण कोरम में तस्दीक किये जाने से स्वीकार योग्य नही है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत खुरी द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1202 दिनांक 28.04.2021 **खारिज** किया जाता है। तहसीलदार अटरू नियमानुसार पुनः नामान्तकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 18/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:01 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां